U.N.I. F.N.P.O. I.N.T.U.C

ना पहाड़ों से डरते, ना तूफानों से डगमगाते हैं, जो तूफानों से टकराते हैं
और डाक कर्मचारियों के दुःखों को दूर करने के लिए लड़ते हैं उसे
FNPO-NUPE Postmen & Group-D/MTS Union कहते हैं।।

POSTAL PRAKASH

सी.एच.क्यू., दलवी सदन, खुर्शीद स्क्वायर, सिविल लाईंस, दिल्ली-110054

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs. 50/- Single Copy Rs. 5/-

Editor : T.N. RAHATE Vol. No. XXIX - No. 5 MAY, 2013

HINDI ISSUE

Contents

Page 1
Attack on India Post
17093 Posts Abolished

Page 3
जनरल सेक्रेटरी की रिपोर्ट

Page 4
Amendment in Constitution of NUPE, Postmen & Group-D/MTS Group-C

Page 8
कुछ आदेशों के हिन्दी अनुवाद

Page 12
Payment of Speed Post Delivery Incentive to the Postman (Order)

Page 14
11th Meeting of Postal Services Staff Welfare Board (PSSWB) held on 16-05-2012

CHQ Quota

All the Divisional Secretaries / Branch Secretaries are requested to send CHQ Quota of **Rs. 9/- (Rs. Nine)** each member per month with effect from August 2012 to **Shri Jagdish Sharma, Treasurer (CHQ), Camp : I.P.H.O., New Delhi-110002.** M.: 09911 226062/ 09899 608399 / 08595 045985 as early as possible.

Attack on India Post
17093 Posts Abolished

It is a great concern that the **17093 posts** kept in skeleton has been Ordered to be abolished immediately. Those posts belongs to Group 'D'/MTS to Group 'C' and higher posts are not touched, why this discrimination?

In fact, to minimise the expenditure of Government, the **Screening Committee** was set up in the **year 2001** and this Committee recommended **abolition of 2632 posts** in Department of Posts since 2000-2005. This Screening Committee again calculated posts for abolition for the **year 2005-06 and 2007-08 total number 17093.** But due to pressure from Union and continuous effort regarding convincing the Screening Committee that Postal is an social/special service having particular nature of work and it is time tested for every operation, moreover there is no recruitment since 1982 and also those skeleton posts were not abolished.

But now the Government has taken stand to abolish these 17093 posts those are kept in skeleton, it means we stand to loose these posts and there is already ban on creation of new posts.

Journal of The National Union of Postal Employees, Postmen and Group 'D'/MTS
P&T Colony, Civil Lines, New Delhi-110054. **Tel.:** 23818330 • **Email :** tnrahate@yahoo.com
Shri T.N. Rahate (General Secretary) **M.:** 08080070500, 09869121277
Shri Sube Singh (Dy. General Secretary) **M.:** 09013281724
Web : www.nupepostmen.org • www.nupepostmenp4.blogspot.com

It seems that officers of high rank have decided to close/abolish India Post in near future for their own selfish interest and so this slow poison is given at first stage.

We all should rise unitedly and should fight with teeth and nail to crush this plan.

Union is **trying to stop this abolition of posts** by getting Stay Order **through Principal CAT, Delhi.**

With struggle greetings.

- Editor

जब हकीम ही बेदर्द हो तो फरियाद कहां करें

केंद्रिय अनुष्ठानों में स्क्रीनिंग कमेटी का निमार्ण ही सभी वर्गों के लिए एक चिंता एक चिंता का विषय है। **सन् 2001** से इस कमेटी की सिफारिशों के कारण सभी विभागों में कर्मचारियों के पदों को समाप्त किया जा रहा है।

डाक विभाग ही एक मात्र विभाग है जिसमें कर्मचारी संगठनों के पूरजोर विरोध एवं डाक सेवा की विशेषता को मे-नजर रखकर सन् 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 इन **तीन सालों में 17093** पदों को समाप्त न करते हुए उन पदों पर नियुक्तियां भी नहीं की गईं और उन पदों को skeleton अर्थात मृतवत रखा गया। मजे की बात है कि इन **skeleton** पदों को पुर्नजीवित कर उन पर नियुक्तियों का प्रावधान है। जो कि भविष्य में कभी भी अमल में लाया जा सकता है।

किंतु डाक विभाग ने एक आदेश प्रसारित कर **इन 17093 पदों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है।** महाराष्ट्र एवं केरल सर्कल संगठन इस आदेश के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर कर चुके हैं। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि **ये 17093 पद** सिर्फ ग्रुप डी/एम.टी.एस. और ग्रुप सी तक सीमित है। अधिकारियों के पदों को छूट दी गई है। आश्चर्य की बात है कि निम्न वर्ग के पदों को समाप्त किया जा रहा है और उच्च पदों को बढ़ाया जा रहा है ये कैसा न्याय है।

हमारे संगठन में NUPE P-IV की **केंद्रीय कार्य समिति 30 मई से 1 जून तक अहमदाबाद में** संपन्न होने जा रही है। उस CWC में हमें इस विषय पर बहस कर सर्वसम्मति से ठोस निर्णय लेना आवश्यक है।

सरकार इन पदों को **समाप्त न कर सके** इसके लिए यूनियन प्रयासरत है। **प्रीसिंपल कैट दिल्ली से स्टे ऑर्डर** द्वारा रुकवाने की पूरी कोशिशें जारी है।

- संपादक

सी.एच.क्यू कोटा

सभी डिवीजनल सेक्रेटरी / ब्राँच सेक्रेटरी से अनुरोध किया जाता है CHQ कोटा **रुपये 9/- (नौ रुपये)** प्रति मेंबर प्रतिमाह भेजें। यह चंदा दर अगस्त 2012 से लागू है। CHQ कोटा **श्री जगदीश शर्मा, खंजाजी (CHQ), कैंप : आई.पी.एच.ओ. नयी दिल्ली-110002, मो.:** 09911 226062 / 09899 608399/08595 045985 को जल्द-से-जल्द से भेजें।

जनरल सेक्रेटरी की रिपोर्ट

1 मार्च 2013 से 15 मार्च 2013 तक मुंबई में रहा। 9 मार्च 2013 और 10 मार्च 2013 को NU GDS महाराष्ट्र सर्कल का द्विवार्षिक अधिवेशन पंढरपुर शहर, महाराष्ट्र सर्कल में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में उपस्थित रह अधिवेशन में शामिल हुए विभागीय सचिव सभासदों को संबोधित किया। हमारे साथ NU GDS के जनरल सेक्रेटरी **श्री पी.यू. मुरलीधरन,** NUPE P-IV के AGS CHQ **श्री सुनील झुंजारराव,** NUPE P-IV महाराष्ट्र सर्कल सेक्रेटरी **श्री के.एस. लामजे,** वरिष्ठ पोस्टल कामगार नेता एवं महाराष्ट्र सर्कल मार्गदर्शक **श्री आर.एन. गाडगिल (गुरुजी)** खासतौर पर उपस्थित थे। मुंबई में रहते हुए महाराष्ट्र सर्कल के सभी संगठन के प्रतिनिधि के साथ विचार विनिमय करके समस्याओं का हल निकालने की कोशिश की।

16 मार्च 2013 से 19 मार्च 2013 तक नई दिल्ली में रहा। सर्कल सचिव NUPE P-IV दिल्ली सर्कल **श्री अशोक शर्मा,** CHQ के खजांजी **श्री जगदीश शर्मा,** ऑफिस सेक्रेटरी, CHQ **श्री वी.के. माथुर,** CHQ ऑफिस बेरर श्री के.के. कौशिक तथा अन्य कार्यकर्ताओं के साथ संगठन के बारे में चर्चा की तथा सभासद संख्या बढ़ाने के विषय में बातचीत की। पूर्व सर्कल सचिव NUPE P-IV **श्री सुभाष चौधरी** ने सम्मानपूर्वक CHQ में आकर NUPE P-IV संगठन के बारे में चर्चा की।

18 मार्च 2013 को डाक भवन में साईकिल कमेटी के चेयरमैन CGM (MB), डायरेक्टर (MV) इनके साथ पोस्टमैनों को डाक वितरण के लिए साईकिल देने पर आनेवाली समस्याओं के बारे में चर्चा हुई।

(i) हमारी मांग में GDS को भी साईकिल मिलनी चाहिए यह मांग को मान लिया गया है।

(ii) साईकिल भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव Secretary (P) और पोस्टल बोर्ड के सामने रखा जायेगा।

(iii) साईकिल दुरस्ती : इसके संबंध में SPM, PM, SSPO's आदि के मार्फत साईकिल दुरुस्ती की मांग की जायेगी। इसके बारे में गाईड लाईन दी जायेंगी।

(iv) ड्यूटी पूरी करने के बाद साईकिल को रखना : इसकी व्यवस्था CPMG/SSPO's अधिकारी करेंगे।

(v) साईकिल चोरी या अपघात होने पर : इसके लिए अभी तक के जो नियम है वही आगे भी लागू रहेंगे।

(vi) साईकिल का बीमा : सरकारी गाड़ी का बीमा नहीं होता है, इसके लिए अभी जो नियम है वही लागू रहेंगे।

(vii) बीट का नापना (मेंजरमेंट) : अभी जिस तरह बीट नापी जाती है, साईकिल बीट, फुट बीट वैसा ही नापा जायेगा। साईकिल देते समय इस बारे में गाईड लाईंस दी जायेंगी।

इस तरह पूरी चर्चा सकारात्मक रूप से हुई। उम्मीद है इंडिया पोस्ट **दिसंबर 2013** या **मार्च 2014** तक करीबन **30,000** (तीस हजार) **साईकिल** पोस्टमैनों को वितरीत कर पायेगी।

इसमें **मेट्रो सिटी** छोड़कर अन्य शहरों में साईकिलें प्रथम दौर में डिपार्टमेंट देने की कोशिश करेगा तथा मेट्रो सिटी **में मोटर साईकिल या मोटर वैन** देने का विचार डिपार्टमेंट में चल रहा है।

20 मार्च 2013 से 31 मार्च 2013 तक महाराष्ट्र में रहा। मुंबई में रहते हुए अन्य सर्कल के पदाधिकारियों के साथ फोन के माध्यम से संपर्क में रहा। उनकी समस्या सुलझाने की कोशिश की तथा सभासद संख्या बढ़ाने के लिए सूचना तथा मार्गदर्शन किया।

- टी.एन. रहाटे
जनरल सेक्रेटरी

Amendment in Constitution of National Union of Postal Employees, Postmen & Group-D/MTS Group-C

Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Posts

Dak Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi - 110001

No. 15/1/2010-SR Dated : 18.07.2012

To

The General Secretary,
National Union of Postal Employees Postmen
& Group-D/MTS Group-C,
CHQ, Delhi-110 054

Sub : Amendment in Constitution of National Union of Postal Employees Postmen & Group-D/MTS Group-C.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. NU/P-IV/18th AIC/Amendment/2012 dated 4-5-2012 on the above mentioned subject and to inform that Government has provisionally approved amendment to the Constitution of National Union of Postal Employees Postmen & Group-D/MTS Group-C. The amended version will now read as given below:

Clause No. 5(a) All Postal Employees in Postmen and Allied Cadre and Group 'D'/Multi Tasking Staff in all Post Offices, Foreign Post and RLO shall be eligible to beocme members of the Union on application and expressing agreements in writing to abide by the Constitution of the Union. The membership of the Government Servant shall be automatically discontinued on his ceasing to belong to such distinct category.

Clause No. 25(i) Composition and Voting: The Circle Working Committee shall consist of Ex-Officio Office Bearers of the Circle Union or any other Office Bearer of Branch/Division Union if deputed by them in their physical absence by virtue of being an Office Bearer of Circle Union subject to the approval of the Central Working Committee.

Clause No. 30(a) The Monthly Subscription shall be Rs. 30/- per member per month.

Clause No. 31(a) The amount of monthly membership subscription released by Branch Union shall be allocated as between the Federation, All India Union, Circle Union, Divisional Union as quota in the following manner:

Federation	Re. 1
All India Union	Rs. 9
Circle Union	Rs. 9
Divisional Union	Rs. 7
Branch Union	Rs. 4

(per member per month)

Clause No. 11 Discipline

(a) The Central Working Committee may make rules for guidance, management, control and functioning of the Union.

(b) The Central Working Committee may similarly make rules for maintenance of discipline and adherence to the Constitution of Union.

(c) Save as provided for specifically elsewhere in the Constitution and action taken in the interest of the Union may include:

i. Adoption of motion of no confidence.

ii. Suspension of Office Bearer and members of Executive from Offices in the Union.

iii. Appointment of Ad-hoc Committee where Divisional/Circle Branches are functioning in violation of Constitution declaring the existing Branch as defunct, subject to approval by the competent Authority.

iv. Re-election in such manner as may be expedient according to circumstances and

v. Expulsion from primary membership in respect of All India Union, the Central Working Committee, All India Conference shall take appropriate action.

vi. **Division/Branch Union cannot take disciplinary action against any Circle/ CHQ Office Bearers but may recommend such cases to higher bodies of the Union.**

2. The above amendment may be incorporated in the existing constitution of the Association and a fresh copy of the constitution submitted to this office, for record.

Yours faithfully,

Sd/-

(Subhash Chander)

Director (SR & Legal)

Copy to:

All Heads of Circles

राष्ट्रीय पोस्टमैन एवं समूह-घ/एमटीएस समूह-ग डाक कर्मचारी संघ के संविधान में संशोधन।

फा.सं. 15-01/2010-एसआर
भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डाक विभाग

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110116.
दिनांक : 18 जुलाई, 2012

सेवा में,

महासचिव,
राष्ट्रीय पोस्टमैन एवं समूह घ/एमटीएस समूह ग
डाक कर्मचारी संघ,
सीएचक्यू, दिल्ली-110054

विषयः राष्ट्रीय पोस्टमैन एवं समूह-घ/एमटीएस समूह-ग डाक कर्मचारी संघ के संविधान में संशोधन।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र सं. एनयू/पी-IV 18वां एआईसी/संशोधन/2012 दिनांक 4.5.2012 का सन्दर्भ देने और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि सरकार ने राष्ट्रीय पोस्टमैन एवं समूह-घ/एमटीएस समूह-ग डाक कर्मचारी संघ के संविधान में संशोधनों का अस्थायी रूप में अनुमोदन कर दिया है। संशोधित पाठ अब निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

खंड सं. 5 (क) पोस्टमैन और सम्बद्ध संवर्ग के सभी डाक कर्मचारी तथा सभी डाकघरों, विदेशी डाक और आरएलओ के समूह 'घ' / मल्टी टास्किंग स्टाफ आवेदन करने और संघ के संविधान के अनुपालनार्थ लिखित में सहमति व्यक्त करने पर संघ के सदस्य बनने के लिए पात्र होंगे। सरकारी सेवक की सदस्यता ऐसी निश्चित श्रेणी से उसका संबंध खत्म हो जाने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी।

खंड सं. 25 (i) संरचना एवं मतदान : सर्किल कार्यकारिणी समिति में सर्किल यूनियन का पदेन पदाधिकारी अथवा उनकी गैर-हाजिरी में सर्किल यूनियन के पदाधिकारी होने के नाते उनके द्वारा नियुक्त शाखा/डिवीजन यूनियन का कोई अन्य पदाधिकारी शामिल होगा बशर्ते कि इसे केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अनुमोदित कर दे।

खंड सं. 30 (क) मासिक अंशदान प्रति सदस्य प्रतिमाह 30/- रु. होगा।

खंड सं. 31 (क) शाखा यूनियन द्वारा जारी मासिक सदस्यता अंशदान की राशि को फेडरेशन, अखिल भारतीय यूनियन, सर्किल यूनियन, डिवीजनल यूनियन में निम्न अनुपात से आबंटित किया जाएगाः

फेडरेशन	1 रु.
अखिल भारतीय यूनियन	9 रु.
सर्किल यूनियन	9 रु.
डिवीजनल यूनियन	7 रु.
शाखा यूनियन	4 रु.
(प्रति सदस्य प्रति माह)	

खंड सं. 11 अनुशासन

(क) केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति संघ के मार्गदर्शन, प्रबंधन, नियंत्रण और कार्यसंचालन के लिए नियम बना सकती है।

(ख) केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अनुशासन बनाए रखने और संघ के संविधान के अनुपालन हेतु भी इसी प्रकार नियम बना सकती है।

(ग) संविधान में विशेष रूप से अन्यत्र किए गए प्रावधानों को छोड़कर और संघ के हित में की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल होंगेः

(i) अविश्वास प्रस्ताव पारित करना।
(ii) संघ के पदों से पदाधिकारियों और कार्यकारिणी के सदस्यों को निलंबित करना।
(iii) जहां डिवीजनल/सर्किल शाखाएं संविधान का उल्लघंन करके कार्य कर रही है, वहां सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन मौजूदा शाखा को समाप्त करने की घोषणा करके तदर्थ समिति की नियुक्ति।
(iv) इस ढंग से पुनः चुनाव कराना जो परिस्थितियों के अुसार समीचीन हो और
(v) अखिल भारतीय संघ की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासन तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, अखिल भारतीय सम्मेलन उपयुक्त कार्रवाई करेंगे।
(vi) **डिवीजन/शाखा संघ किसी सर्किल/सर्किल मुख्यालय के पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई नहीं कर सकता परन्तु ऐसे मामलों को संघ के उच्चतर निकायों को सिफारिश करके भेज सकता है।**

2. उपर्युक्त संशोधन संघ के मौजूदा संविधान में समाविष्ट किए जाएं और संविधान की नई प्रति रिकार्ड के लिए इस कार्यालय को भेज दी जाए।

भवदीय,
- सही -
(सुभाष चन्द्र)
कन्सलटेंट (एसआर)

प्रतिलिपि
सभी सर्किल अध्यक्ष

कुछ आदेशों के हिन्दी अनुवाद

1. (DG (P) No. 7-1/87-NB dated 28-4-1988)

•• आई.टी. रूल्स के तहत, पति, पत्नी, पिता, पुत्र सभी अलग रूप से कानूनी अधिकार के लिए विचारणीय होंगे। इसी तरह, अधिकृत फ्लैट का किराया उसके द्वारा या उसके पुत्र द्वारा देना होगा अगर अन्य पार्टी के लिए इन्कम टैक्स की गणना हेतु भी किराया देना होगा।

• प्रत्येक आदेश 22-2-02 के तहत, अगर किसी भी कैलेंडर के पूरे महीने में गैर हाजिरी न हो, तो यात्रा भत्ता पूरे महीने के लिए मान्य होगा। एक महीने का अवकाश पत्र दो कैलेंडर के महीने में आता हो तो शासकीय रूप से यात्रा भत्ता दो महीनों के लिए मान्य होगा।

• ओ.एम. निर्देश दिनांक 3-10-1997 के तहत कर्मचारी को ऑफिस से एक किलोमीटर के दायरे में प्राप्त आवास के लिए यात्रा भत्ता प्राप्त नहीं होगा। MOF No. 21(2)/2008-E11(B) दिनांक 29-8-2008 के तहत। अब सभी के लिए चाहे वो SPM पद के साथ संलग्न क्वार्टर के लिए हो अधिकृत यात्रा भत्ता प्राप्त होगा।

• पूरे कैलेंडर के महीनों में यात्रा भुगतान के लिए यात्रा भत्ता नहीं होगा। पूरे कैलेंडर के किसी भाग में यात्रा करने के दौरान ही यात्रा भत्ता दिया जायेगा।

• SR 194-A के तहत, टी.ए. बिल एक साल के अंदर ही प्रस्तुत करना होगा। एल.टी.सी. के लिए तीन महीने के अंदर ही वापसी यात्रा की तिथि सहित नियत हो। यदि एडंवास भुगतान करना है तो वह एक महीने के अंदर होगा।

• यदि पास में सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल न हो तो आपातकाल की स्थिति में (ट्रीटमेंट) इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराया जा सकेगा।

• टी.ए./डी.ए. सभी रेगुलर कर्मचारियों के लिए जिनके रिटायरमेंट में कम से कम 10 वर्ष शेष हो और वे क्लेम कर सकते हैं सभी स्वीकृत अपने ट्रांसफर के साथ संलग्न ग्रांट और निजी प्रभावस्वरूप कैरिज के लिए वे अपना और अपने परिवार के लिए भी सुख सुविधा प्राप्त हैड अपने अंतिम ड्यूटी स्टेशन के लिए क्लेम प्रस्तुत कर सकते हैं। वे अपने होम टाउन या जहां भी वे रहना चाहें। रिटायरमेंट की तिथि के एक साल के अंदर वे इसे उपयोग में ला सकते हैं।

• MOF OM No. 1/7/E11 (A) 98 तिथि 31-7-1998 गैर गजैटेड कर्मचारी के लिए स्वीकृत कनवेंस चार्ज जो भुगतान के लिए नियत हों, हैडक्वार्टर से दूर स्थान पर रविवार या छुट्टी के दिन ड्यूटी के लिए नियुक्त तथापि म्युनिसिपिल की सीमा में हो।

• अगर वह ड्यूटी में 8 कि.मी. से आगे नियुक्त होता है तो वह टी.ए. नियमों तथा डी.ए. आदि के लिए स्वीकृत राशि प्राप्त कर सकता है।

2. (DG (P) No. 1-11/81-PAP(Pt) dated 2-3-1988)

•• जूनियर से वेतन बराबरी दावे को आगे प्रस्तुत करने की शर्तें :

• उच्च एवं निम्न दोनों कर्मचारियों के वेतन अनुपात की व्यवस्था अभिन्न रूप से एक समान हो और भर्ती इकाई में भी समान हो।

• जो पद समान व एक अनुरूप हो उनकी भी पदोन्नति हो।

• पदोन्नति के दौरान, कर्मचारी निम्न कर्मचारी से अधिक या समान रूप से वेतन प्राप्त कर रहा हो।

- FR22(C) या अन्य वेतन स्थायीकरण के नियमों के आवेदन में प्रत्यक्ष परिणामों की असंगति हो सकती है।
- डाक विभाग के दिनांक 22-7-1985 के आदेशानुसार, उच्चाधिकारी को वेतन में लाभ प्राप्ति की स्वीकृति उन्नति के मार्गों में दूसरी बार औपचारिक रूप से प्रदान की जाएगी। जबकि समान निम्नाधिकारी के वेतन में असंगति उत्पन्न होने पर उचित प्रबंध किया जायेगा। जिस प्रकार प्रथमत: उच्चाधिकारी के वेतन मे उल्लेखित किया गया था। प्रारंभ से चयनित व्यक्ति ही हो ना कि प्रत्यक्ष अन्य कोई व्यक्ति।
- आर.पी. नियम 2008 अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी के वेतनवृद्धि की तिथि हर साल की पहली जुलाई को होगी। अगर कोई कर्मचारी अपने अंतिम वेतनवृद्धि को जुलाई के बाद छ: महीने या उससे अधिक पूरा करता है तो वह अगले वार्षिक वेतन वृद्धि का अधिकारी हो जाता है। इस तरह उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि उसे वार्षिक वेतन वृद्धि के दौरान Dies-Non या EXOL MC रहित आदि के छ.छ माह से एक साल तक यह स्थिति लागू रहेगी जो जुलाई से जून के अगले वर्ष तक रहेगी।
- प्रत्येक संशोधित वेतन नियमों के अनुसार यदि पदोन्ननित वर्ष के द्वितीय जुलाई से 31 दिसंबर के बीच हुई हो तो अगली वेतन वृद्धि उसी वर्ष की पहली जुलाई को ही होगी। यदि साल में पदोन्नति स्वीकृत होती है। पहली जनवरी से 30 जून के बीच में तब उसकी वेतन वृद्धि केवल अगले वर्ष ही होगी अत: पदोन्नति के समय वेतन निकारण के विकल्प का अध्ययन एक बार ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए।
- यदि किसी उच्च पदवी पर 14 दिन से कम समय के लिए स्थापन्न हुआ है तो तब वह उच्च वेतन प्राप्ति के हकदार नहीं होंगे। यदि कार्य अवधि 14 दिन से कम हो और बाद में उसकी अवधि बढ़ा दी जाए और यह अवधि 14 दिन या उससे अधिक हो जाए तब उच्च पदवी के स्थापन्न होने पर उस प के लिए उच्च वेतन निदेशालय के पत्र सं. 9-25/82 एस.पी.जी./एस.पी.पी./11 ति. 29-05-86 के तहत प्राप्त होगा।
- जो पति और पत्नी एक साथ हों या अलग, जिन्हें अदालती निर्देशानुसार अलग होने का आदेश प्राप्त हो उन्हें एच.आर.ए. नहीं मिलेगा। उनमें से किसी एक को आवास प्राप्त हो तो उन्हें एच.आर.ए. नहीं मिलेगा।
- एच.आर.ए. अनुसार यदि पति-पत्नी सरकारी सेवा में हैं, साथ रहते है और वे निजी या खरीदे हुए आवास में रहते हैं। उन पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस स्थिति में दोनों को एक सामान्य रूप एच.आर.ए. के तहत देना होगा।
- क्षतिपूर्ति हेतु सेवा भत्ते के साथ मुक्त किराया आवास बदले में नहीं दिया जाए। बल्कि कम से कम राशि शुल्क लाइसेंस फीस के लिए लिखा जाएगा जो इस प्रकार के आवास के लिए अधिकृत होता है।
- दिनांक 6-5-03 के निदेशालय ऑर्डर के तहत, हैड ऑफ सर्कल द्वारा डीक्वार्टराइजेशन का आदेश करने के अधिकृत है। इसी तरह क्वार्टर का निलंबन 90 दिन से अधिक होने पर स्वीकृत होगा। सर्कल हैड द्वारा क्वार्टर निवासी की स्थितिनुरूप SPM के एच.आर.ए. के तहत स्वीकृत होगा। इस तरह के केसों में निदेशालय को फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं होगी।
- कर्मचारी की इच्छा के विरुद्ध या उसके लिखित विनती के अभाव में किसी अन्य कर्मचारी के क्वार्टर एलॉटमेंट होने पर बाहर नहीं निकाला जा सकता।

  तथापि कर्मचारी आदेशवश किराया मुक्त क्वार्टर में अधिकार कर ले और वह उसे रीफ्यूज कर दे तो एच.आर.ए. की प्राप्ति नहीं होगी। यह निर्देशालय पत्र दिनांक 11-7-2000 के तहत है। इसी तरह कोई भी कर्मचारी सहमति के बिना स्टाफ क्वार्टर का एलॉट बलपूर्वक नहीं कर सकता।
- सामान्य सेवाओं हेतु शुल्क, अग्नि और सफाई संबंधी टैक्स और सड़क के सफाईकर्मी के लिए टैक्स रीक्वर्ड नहीं होंगे। उन किराया मुक्त एलॉटिज को जो 1-7-1987 से लाइसेंस फीस फ्लैट रेट के आधार पर लागू होगी।

3. (DG (P) No. 14-1/91-Medical dated 18-01-1991

•• स्पलीट ड्यूटी भत्ते के अनुदान प्राप्ति के निर्धारण की स्थिति :

1. दो ड्यूटिज के बीच का अवकाश दो घंटे से कम में न हो।
2. स्पलीट ड्यूटी भत्ता केवल उसी स्थिति में स्वीकार्य होगा, जब वास्तविक समय सीमा के दौरान शासकीय स्पलीट ड्यूटी की गई हो और वह नियमित ड्यूटी के लिए निर्धारित हो वह उचित स्पलीट ड्यूटी भत्ते की प्राप्ति के अधिकार को खो भी सकता है।
3. प्रशिक्षण या अनुपस्थिति के दौरान वह इसके लिए स्वीकृत नहीं होगा।
4. शासकीय आवास की दूरी 5 कि.मी. से अधिक हो ड्यूटी के स्थान से तभी वह भत्ते की प्राप्ति के योग्य होगा।

• अगर कोई ऑफिशियल शारीरिक अपंग है तथा शारीरिक अपंगता के बावजूद स्पलीट ड्यूटी करना आवश्यक हो तो, इस स्थिति में स्पलीट ड्यूटी भत्ते का भुगतान यात्रा भत्ता जोड़कर दोहरी राशि के साथ प्रदान किया जा सकता।

4. ट्रांस्फर/पोस्टिंग :

•• एल.एस.जी. लेखापाल को एल.एस.जी. लेखापाल में पदोन्नति हेतु कार्य वर्षों के मापदंड निदेशालय पत्र क्रं. 9-14/89/एस.पी.बी. II दिनांक 27-3-1991 में बताए गए हैं। इसे संशोधित एल.एस.जी. नियुक्ति नियमों में शामिल किया गया है।

• निदेशालय ने अपने पत्र क्र. 141-37/92 एस.पी.बी. II दिनांक 9-6-1995 के द्वारा पी एंड टी मैन्यूअल चतुर्थ के उपनियम 14 के नियम 60 में संशोधन प्रसारित किया है, जिसमें एकल हस्तीय उपडाकपाल के कार्यकाल को 4 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष कर दिया गया है।

• एस.बी. शाखा में नियुक्त कोई भी कर्मचारी चाहे लिपिकीय या पर्यवेक्षक वहां 5 वर्ष तक कार्य करेगा जब तक कि यह न माना जाए कि उनका रहना सेवाहित में नहीं है।

5. (DOE OM No. 18016/1/98/PO/111 dated 3-6-1991)

•• निरीक्षण क्वार्टर में 60 दिनों से अधिक रहने पर उसका भुगतान 10 प्रतिशत बेसिक+ग्रेड वेतन के अंतर्गत होता है। इसमें निदेशालय की स्वीकृति आवश्यक होगी। इसकी अनुमति केवल डी.जी. के अल्पव्ययी एवं निजी अनुमोदन के रूप में होगा। यदि ऑफिसर आई.क्यू. अनाधिकृत रूप से रहता है तो विभाग द्वारा डीसीप्लीनरी एक्शन के साथ-साथ डैमेजिज कियारा आज्ञात्मक रूप से देना होगा।

6. (DG (P) No. 25-16/85-NB (5) dated 15-2-1996)

•• जिन अधिकारियों की पोस्टिंग मुख्यालय में होती है। वे अगर निरीक्षण क्वार्टर में रहेंगे तो उनका उस अवधि का एच.आर.ए. नहीं मिलेगा। यदि वे सात दिन से अधिक रहते हैं तो पूरे माह का एच.आर.ए. नहीं मिलेगा।

7. (DOPT OM No. 16/8/2002-Estt (Pay-1) dated 25-2-2003)

•• अगर वार्षिक वेतन वृद्धि फरवरी से जून 2006 में हुई हो तो संशोधित वेतनमान अनुसार 1-1-2006 को पहली वेतन वृद्धि की स्वीकृति एक बार ही प्रदान की जाएगी और अगली वेतनवृद्धि का संशोधित दांचा 1-7-2006 को स्वीकृत किया जायेगा।

8. (DG (P) No. 141-198/2001-SPB dated 10-5-2002)

•• निदेशालय ने पत्र क्र. 137-12/98 एस.पी.बी. II दिनांक 29-4-1998 के द्वारा महिला कर्मचारियों की पदस्थापना

ऐसे कार्यालयों में करने से बचने के निर्देश दिये हैं जहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। आगे भी पत्र क्र. 137-10/2011 एस.पी.बी. दिनांक 18-1-2011 के द्वारा दोहराया गया है कि महिला कर्मचारियों को बुनियादी एवं आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित रहने के बाद ही किसी कार्यालय में स्थानांतरित किया जाए।

9. (DG (P) No. 69-24/87-SPBI dated 2-12-1988 and 12-5/89-UAE dt. 19-6-1999)

•• संशोधित ए.सी.पी. योजना

- एम.ए.सी.पी. के लिए स्क्रीनिंग समिति को एक वित्तीय वर्ष में दो बार प्रधानत: अप्रैल से सितंबर की अवधि के मामलों के लिए जनवरी के पहले सप्ताह में तथा जुलाई के प्रथम सप्ताह में अग्रिम रूप से अक्टूबर से मार्च की अवधि में पूरे होने वाले मामलों की प्रक्रिया करने हेतु मिलना चाहिए। ताकि समिति पहले से ही कार्य में लगने वाले समय में प्रक्रिया पूर्ण कर ले।
- नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध वेतन निर्धारण का लाभ एम.ए.सी.पी. पर भी दिया जाना चाहिए जो कि पे-बैंड में कुल वेतन का 3 प्रतिशत व ग्रेड पे होगा। लेकिन यदि वह एम.ए.सी.पी. में दी गई ग्रेड पे में ही हो तो नियमित पदोन्नति में कोई वेतन निर्धारण नहीं होगा। यदि पदोन्नति में उच्च ग्रेड पे उपलब्ध हो तो केवल ग्रेड पे का अंतर ही पदोन्नति पर दिया जाएगा। यह सब संशोधित किया गया है। यदि मौजूदा ग्रेड पे और पदोन्नति में अधिक जिम्मेदारी के उच्च पद पर ग्रेड पे एक ही हों तो वेतन निर्धारण यानि 3 प्रतिशत ही अनुमति दी जाएगी।
- पे बैंड 1 के अंतर्गत एम.ए.सी.पी. वित्तीय उन्नयन में कोई बैंचमार्क लागू नहीं होगा। इसके बाद पे बैंड 3 में 6600 तक ग्रेड पे में 'गुड' का बैंचमार्क लागू होगा एवं 7600 और अधिक ही ग्रेड पे में एम.ए.सी.पी. प्रदान करने हेतु 'वेरी गुड' का बैंचमार्क आवश्यक होगा।
- यदि एम.ए.सी.पी. के पात्र बनने से पहले कोई नियमित पदोन्नति ठुकरा दी जाती है, तो किसी वित्तीय उन्नयन की अनुमति नहीं दी जाएगी। वह आगे भी तब तक वित्तीय उन्नयन हेतु विचार योग्य नहीं होगा जब तक वह पदोन्नति के लिए सहमत न हो। दूसरा या अगला वित्तीय उन्नयन भी इनकार करने के समय तक नहीं दिया जाएगा। यदि 3 एम.ए.सी.पी. के बाद कोई पदोन्नति से इनकार कर दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
- डी.जी (पोस्ट) क्र. 1-02/2011-पीएपी दिनांक 31-8-2012 के अनुसार एम.ए.सी.पी. I, II, व III प्राप्त करनेवाले सभी कर्मचारी ट्रेजरर व अकाउंटेंट के कार्य हेतु विशेष भत्ते के पात्र होंगे। इसी प्रकार वे बचत बैंक भत्ते के भी पात्र होंगे जो कि निदेशालय पत्र क्रं. 113-07/2010 बी दिनांक 11-6-2012 के द्वारा स्पष्ट किया गया है।

10. (DG (P) No. A-34013/3/2012 DE dated 25-4-2012

•• पैंशन एवं सेवा निवृत्ति

- न्यूनतम पैंशन रुपये 3500 से कम नहीं होगी एवं अधिकतम सरकार में उच्चतम वेतन का 50 प्रतिशत होगी। पैंशन/परिवार पैंशन 1-1-2006 से संशोधित वेतन स्केल के अनुसार पेंशनर द्वारा धारित पद के न्यूनतम वेतन के 50/30 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
- सीसीएस (पेंशन) 1972 नियमावली के नियम 49 के अनुसार तीन माह और अधिक किंतु 6 माह से कम की अवधि पैंशन निर्धारण के लिए 6 माह की अर्हक सेवा के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए सभी जो 9 वर्ष 9 माह की अर्हक सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उनकी सेवा 10 वर्ष की मानी जाएगी एवं वे पैंशन के हकदार होंगे।
- यदि सेवानिवृत्ति की तिथि को अवकाश है, तब भी उसी दिन अपरोह में प्रभार त्यागा जाएगा। यदि स्टोर/नकदी का प्रभार सौंपा जाना है, तो वह एक दिन पूर्व किया जाएगा किंतु प्रभार त्याग की प्रक्रिया सेवानिवृत्ति की तारीख को ही होगी।

Payment of Speed Post Delivery Incentive to the Postman (Order)

Incentive scheme for pick up, booking and delivery of Speed Post.

Department of Posts
Business Development & Marketing Directorate
5th Floor, Dak Bhawan, New Delhi-110 001

No. 57-01/2005-BD&MD June 17, 2012

To : All Heads of Circle

Subject: Compilation of instructions on incentive scheme for pick up, booking and delivery of Speed Post.

It has come to notice that instructions issued by BD Dte from time to time on incentive scheme for pick up, booking and delivery of Speed Post are not being followed properly by the field units.

2. Instructions on incentive scheme issued from time to time are compiled as below for reiteration.

2.2 Incentive scheme for stations where no separate posts have been sanctioned for Speed Post (Directorate letter No. 43-17/90-D dated 16.11.90).

(a) An incentive @ 50 paise per article will be paid to the officials detailed to pick up Speed Post articles from the premises of customers either on daily basis or specified days subject to a maximum amount of Rs. 5/- per customers premises.

(b) An incentive @ 50 paise per article will be paid to the official who is detailed to book Speed Post articles in such centres where no separate counter has been provided for booking of Speed Post articles and such officials are asked to book Speed Post articles in addition to their normal allotted counter duties.

(c) An incentive @ 50 paise per article correctly delivered in time will be paid to the official entrusted for delivery of Speed Post articles alongwith other articles allotted as per their normal duties/workload.

2.3 Incentive scheme for stations where separate posts have been sanctioned for Speed Post (Directorate letter no. 43-17/90-D dated 24.12.90).

(a) The officials deployed for picking up Speed Post articles from the customer's premises will be paid @ 50 paise per article collected promptly subject to maximum of Rs. 5/- per customer's premises visited.

(b) The officials deployed for booking of Speed Post articles at the counters will be paid an incentive money @ 75 paise per article, booked over and above the threshold level specified for the stations. In case of articles booked under special journal maximum limit of incentive money will be Rs. 5/- per customer.

(c) For determining threshold, the traffic figure of 15% of the average daily figure will be added with average daily traffic figure calculated with reference to monthly averages of the whole previous calendar year.

(d) The officials deployed for delivery of Speed Post articles will be paid @ 50 paise per article delivered correctly and promptly, provided number of articles returned undelivered due to reasons other than those of 'customers premises being closed' or 'refused by the customer' is 'NIL'. If the number of articles returned as undelivered due to the reasons other than those mentioned above, exceeds 2% of the total number of articles assigned for delivery to individual postman, no incentive will be paid to such officials. If the number of articles delivered is more than 98% but less than 100% of the articles given for delivery, the officials will be paid @ 25 paise per article. The percentage will be calculated on monthly basis and fraction less than one should be ignored in determining percentage of efficiency.

2.4 As per BD Dte Letter No. 58-14/2002-BDD dated 23.12.2002 "The instructions contained in para 2.3 of 43-17/99-D dtd 24.12.1990 (as reiterated in sub para (b) below para 2.3 above) is applicable for payment of incentive to the officials handling BNPL articles."

2.5 Besides, queries of Circles clarified from time to time vide Dte letter No. 43-17/89-D dated 29.9.92 and no. 43-17/89-D dated 19.6.91 are also relevant.

3. These provisions may be brought to notice of all concerned for strict observance and adherence. Any violence of these instructions in future should be viewed seriously.

Sd/-
(Arvind Varma)
Deputy General Manager (O)

11th Meeting of Postal Services Staff Welfare Board (PSSWB) held on 16-05-2012

Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Posts
Dak Bhawan

No. 1-01/2009-WL/Sports (Vol-II) New Delhi, the 19th March, 2013

To
All Heads of Postal Circles

Subject : 11th Meeting of Postal Services Staff Welfare Board (PSSWB) held on 16-05-2012 - regarding

Sir/Madam,

I am directed to inform you that in the 11th Meeting of Postal Services Staff Welfare Board held on 16-5-2012 under the Chairmanship of Hon'ble Minister of State for Communication & IT the following decisions have been taken which are conveyed as under :-

(i) Item No. 2 - Timely allotment of Funds under Welfare :

It was decided to release funds on priority to those Circles whose accounts duly audited by P&T Audit are received in time. In the case of Circles, which delay submission of duly audited accounts by P&T Audit, funds will be released in the second installment.

(ii) Item No. 3 - Enhancement of powers for grant of financial assistance in case of prolonged illness/major surgical operations :

The matter regarding enhancement of powers of Heads of Circles for grant of financial assistance in case of prolonged illness/major surgical operations to postal employees/Gramin Dak Sewaks/ full time and part time casual labourers was discussed. In this regard the matter has been decided as under :

(a) In case of Gramin Dak Sevaks, the limit of Rs. 5000/- which is being observed for grant of financial assistance for prolonged illness/major surgical operations circulated vide this office Letter No. 19-3/2010-WL/Sports dated 13-1-2011 has now been raised and the competent Authority is pleased to enhance the same to Rs. 10,000/-.

(b) All the cases for grant for financial assistance under this category applicable to both regular employees as well as GDS, will be considered by a Circle Level Committee the composition of which will be as under :

COMPOSITION OF CIRCLE LEVEL COMMITTEE

Chief PMG	Chairman
DSP (HQ)	Member-I
DAP	Member-II

(iii) Item No. 4 - Enhancement of immediate death relief :

The matter regarding enhancement of immediate death relief to the family/dependents on the death of postal employees and Gramin Dak Sevaks/full time and part time casual labourers was considered. In this regard a reference is invited to this office Letter No. 1-3/99-WL/Spts dated 1-6-2000 vide which grant of financial assistance in case of death under various circumstances had been circulated. Thereafter as per this office Letter No. 2-1/2001-WL&Sports dated 26-4-2002 the amount in respect of death due to accident while on duty had been raised to Rs. 7000/-. All other things remaining unchanged, it has now been decided to raise the limit from existing Rs. 7000/- to Rs. 10,000/- as under :

Details	Existing Provision	Revised Provision
Death due to accident while on duty	Rs. 7,000/-	Rs. 10,000/-

(iv) Item No. 5 - Enhancement of financial assistance under Education Schemes :

The matter regarding enhancement of financial assistance under Education Scheme was considered. In this regard your kind attention is invited to this office Letter No. 13-1/93-WL/Sports dated 20th May 1993 and Letter No. 1-19/97-WL&Sports dated 17-9-1997 regarding grant of educational assistance to the children of postal employees. Accordingly the following decisions were taken in this regard :

(a) It was decided to increase the existing amount of scholarships both for technical and non-technical courses by 25%.

(b) It was agreed to increase the amount of book award to Gramin Dak Sevaks by 25%. However, the grant of book award to regular employees of the Department was dropped as this facility is now a component under CEA being granted for school education.

Thus the enhancement will be as under :

Details	Existing Provision (No. 1-19/97-WL&Sports Dated 17-9-1997)	Revised Provision	Amount
(a) IIT, AIIMS and IIM	Rs. 300/- p.m.	25%	Rs. 375/- p.m.
(b) Technical Educational			
(i) Degree	Rs. 225/- p.m.	25%	Rs. 280/- p.m.
(ii) Diploma	Rs. 150/- p.m.	25%	Rs. 190/- p.m.
(c) Non-Technical Degree BA/BSc./B.Com/Degree in Fine Arts	Rs. 120/- p.m.	25%	Rs. 150/- p.m.
(d) ITI Certificate Courses	Rs. 750/- p.a.	25%	Rs. 940/- p.a.
(e) Book Awards for Technical Education (for GDS Only)	Rs. 450/- p.a.	25%	Rs. 560/- p.a.

As regards the issue of revision of pay ceiling for grant of Scholarship in the context of MTS where both husband and wife are working is under examination and decision will be conveyed separately. Therefore, all other terms and conditions remain the same.

(v) Item No. 6 - Introduction of Scholarship for Post Graduation :

The matter has been examined and it has been decided to grant scholarship for all technical courses at Post Graduation level on par with graduate courses. In this regard your kind attention is also invited to this office Letter No. 13-1/93-WL/Sports dated 20th May 1993 and Letter No. 1-19/97-WL&Sports Dated 17-9-1997 regarding grant of educational assistance to the children of postal employees.

Scholarship for Technical Courses Existing Provision	Scholarship for Technical Courses Revised Provision
Up to Graduate Level	Upto Post Graduate Level

(vi) Item No. 28 - Raising the distance limit for Excursion Trip :

The matter regarding raising of the present limit of 500 kms for Excursion Trips has been examined. In this regard a reference is invited to this office Letter No. 19-2/90-WL&Sports dated 11-7-1990 regarding enhancement of the limit of excursion trips. Accordingly, it has been decided to raise the limit of existing 500 kms for Excursion Trip to 700 kms. Thus the position will now be as under :

Existing Provision	Revised Provision
500 kms.	700 kms.

It has also been decided that not more than one officially sponsored Excursion Trip will be arranged in a financial year.

2. The minutes of the meeting of Postal Services Staff Welfare Board held on 16-05-2012 stand circulated vide this office communication of even number dated 11th June, 2012.

3. These Orders will come into force with immediate effect. Past cases will not be reopened.

Yours Sincerely
Sd/-
(MADHURI DABRAL)
Director (WL & Sports)

Copy to :

(i) All Members of Postal Sports Board.
(ii) Secretary General, FNPO/NFPE/BPEF
(iii) Secretaries, Circle Sports Boards.
(iv) Secretary, Postal Services Board
(v) Business Development Directorate
(vi) Postal Life Insurance, Directorate
(vii) Rafi Ahmed Kidwai, National Postal Academy
(viii) All Postal Training Centres Saharanpur/Vadodara/Mysore/Madurai/Darbhanga/Guwahati
(ix) NIC with the request for uploading on the website of India Post under the heading Welfare & Sports.

Owner, Publisher, Printer and Editor T.N. Rahate, P&T Colony, Civil Lines, New Delhi-110054
Printed at Vandana Print & Co. 633/634, Daryaganj, Ganj Mirkhan, Delhi-110002